



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08052024-254098
CG-DL-E-08052024-254098

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 314]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 6, 2024/वैशाख 16, 1946

No. 314]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 6, 2024/VAISAKHA 16, 1946

राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली 24 अप्रैल, 2024

फा. सं. टीई-32/2/2023- एनडीएसए-एमओडब्ल्यूआर.—राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण, 2021 बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 (2021 का 41) की धारा 54 की उप-धारा (2) के खंड (ज), (झ), (ञ), (ट), (ड), (ढ), (त) और (द) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण, एतद्वारा द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात:-

- संक्षिप्त शीर्षक और शुरुआत—**(1) इन विनियमों को निरीक्षण, यांत्रिकीकरण, भूकंपीय आंकड़ों, जोखिम मूल्यांकन और निर्दिष्ट बांध विनियम, 2024 का मूल्यांकन कहा जाएगा।
(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- परिभाषाएं—**(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
(क) "अधिनियम" का अर्थ है बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 (2021 का 41);
(ख) "प्राधिकरण" का अर्थ है अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण;
(ग) "मालिक" का अर्थ है विनिर्दिष्ट बांध का मालिक;
(घ) "अनुसूची" का अर्थ है इन विनियमों की कोई भी अनुसूची।

7. Time interval of risk assessment studies of specified dam.—

(1) The owner shall carry out the first risk assessment study of each specified dam within five years from the date of commencement of the Dam Safety Act, 2021.

(2) After the first risk assessment study referred to in sub-regulation (1), risk assessment study shall be carried out at every ten years' interval, or earlier, as may be directed by the Authority for each specified dam.